


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है—

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	विवेक गुप्ता राउमावि बगड, राजपूत, अलवर	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ1 ()/स्था/सान्याअवि/2017/83808 जयपुर दिनांक 16.08.17

संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना अवगत करावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर


दिनांक 25/08/17

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/15-16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (मा)
4. संबंधित जिशिअ (मा)
5. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक के विरुद्ध कोई वसूली हो तो इनको कार्यमुक्त न करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. रक्षित पत्रावली

 25/08/17


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रपत्र-6

निम्नलिखित प्राध्यापको को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्रीमती सुशीला शर्मा राउमावि प्रतापनगर, भीलवाडा	अर्थशास्त्र	31.12.57	31.12.17
2	श्री देवीराम शर्मा राउमावि राजासर, बीकान (चूरु)	भूगोल	04.08.57	31.08.17

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिको के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 25/09/17

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/सी- 5/ सेवानिवृत्त /2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक, अजमेर/चूरु
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, भीलवाडा/चूरु
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. सम्बन्धित कार्मिक
5. कम्प्यूटर अनुभाग
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर